CGDH010008292022

Presented on : 07-10-2022
Registered on : 17-10-2022
Decided on : 11-12-2025
Duration : 3 years 1 months 25 days

न्याया.–प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी–श्री मोहन सिंह कोर्राम)

आपराधिक अपील क्रमांकः 60/2022
संस्थित दिनांक 07/10/2022
पंजीयन दिनांक 17/10/2022

छ.ग. राज्य,

द्वारा–जिला मजिस्ट्रेट धमतरी,

जिला धमतरी ....**अपीलार्थी/अभियोजन**

प्रति

1. **मोहित सिन्हा** पिता स्व. डोमार सिंह, उम्र 22 वर्ष,
   निवासी डांडेसरा, थाना कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)
2. **अनुज राम साहू** पिता स्व. गुलाल राम साहू, उम्र 45 वर्ष
   निवासी ग्राम पीपरछेड़ी(देमार) थाना अर्जुनी,
   जिला धमतरी(छ.ग.)
3. **कमलेश सिन्हा** पिता स्व. सालिक राम सिन्हा, उम्र 42 वर्ष
   निवासी गोकुलपूर वार्ड लक्ष्मी निवास के सामने धमतरी,
   थाना सिटी कोतवाली धमतरी (छ.ग.) .....**उत्तरवादीगण/अभियुक्तगण**

अपीलार्थी/अभियोजन द्वारा श्री गीतेश प्रजापति लोक अभियोजक ।
उत्तरवादी/अभियुक्त अनुज राम साहू द्वारा श्री बसंत जैन अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/अभियुक्त मोहित सिन्हा द्वारा श्री सुरेन्द्र बंजारे अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/अभियुक्त कमलेश सिन्हा द्वारा सागर पुष्पकार अधिवक्ता ।

निर्णय
(दिनांक 11/12/2025 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियोजन ने यह आपराधिक अपील अंतर्गत **धारा 378(1) दं.प्र.सं.** के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी(छ.ग.) पीठासीन अधिकारी:सुश्री सीमा प्रताप चन्द्रा **(जिन्हें आगे विद्वान विचारण न्यायालय संबोधित किया जायेगा)** के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक-**1146/2018** ''छ.ग. राज्य विरूद्ध मोहित सिन्हा वगैरह'' में पारित आदेश/निर्णय **दिनांक 11/07/2022 (जिसे आगे आलोच्य आदेश/निर्णय संबोधित किया जायेगा)** से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा- ''उत्तरवादीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध, केवल **प्रार्थी ताराचंद साहू** के साथ छल करने के संबंध में ही पेश अभियोग पत्र के आधार पर आरोप विरचित किये जाने और उसी संबंध में ही मामला विचारित किये जाने तथा प्रकरण में प्रार्थी ताराचंद साहू द्वारा पूर्व में ही अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने के आधार पर प्रार्थी ताराचंद साहू के संबंध में अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिए उक्त संबंध में उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण की दोषमुक्ति संबंधी निष्कर्ष देने के कारण एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य कोई आरोप शेष न रहने के कारण अब इस प्रकरण की प्रकरण की कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई औचित्य न होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है,'' यह उल्लेखित करते हुए, प्रकरण की

कार्यवाही समाप्त की गयी है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि प्रार्थी ताराचंद साहू ने थाना अर्जुनी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अभियुक्त अनुज राम साहू के द्वारा एनआईसीटी रायपुर के माध्यम से स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन नियम व शर्तों के मुताबिक, अनुमति प्राप्त कर ग्राम झिरिया में किया जा रहा था। ग्राम कण्डेल के संचालक कामताप्रसाद साहू का शासकीय नौकरी लग जाने से बंद करने पर अनुज राम साहू के द्वारा कण्डेल शाखा का संचालन मोहित सिन्हा एवं कमलेश सिन्हा के साथ प्रारंभ किया गया था। नोटबंदी के दौरान लोगों के द्वारा शाखा में खाता खोलकर रकम जमा किया गया था उक्त रकम आहरण करने जाने पर विड्राल फार्म भराकर लिंक फेल का बहाना देकर वापस कर दिया जाता था, रकम नहीं मिल पाने के कारण आवेदक प्रार्थी के द्वारा एस.बी.आई. शाखा छाती में संपर्क करने पर खाते में रकम नहीं होना बताया गया। अभियुक्तगण के ऊपर दवाब बनाने पर अपराध कबूल करते हुए रकम वापस करने का भरोसा दिलाया गया, किन्तु समय पर रकम वापस नहीं किया गया, प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. दर्ज कर विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह प्रकट हुआ कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी ताराचंद साहू के अलावा रामप्रसाद निर्मलकर, लोकेश्वर साहू, लक्ष्मी बाई, चिंताराम साहू, नेमीन बाई, शांति बाई, शंकर लाल, गैंदूराम साहू, डामिन बाई, फिरेन्द्र ढ़ीमर, खेदूराम ढ़ीमर, यशवंत साहू,

मीना बाई, टोमीन साहू, ओमप्रकाश साहू, रामेश्वर, चंद्रहास निर्मलकर, अनूप सिंह, इंदल राम साहू, बंटी उर्फ प्रशांत ध्रुव, कामता प्रसाद साहू से भी छल पूर्वक रकम प्राप्त कर लिया। उक्त पीड़ितगण के भी कथन दर्ज किये गये और संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किया गया। दिनांक 07/01/2019 को प्रार्थी ताराचंद साहू तथा अन्य पीड़ितगण रामप्रसाद, लोकेश्वर, चिंताराम, शंकर, गैंदूराम, डामीन बाई, खिलेन्द्र, खेदूराम एवं यशवंत के द्वारा अभियुक्तगण से किये गये स्वेच्छया राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त प्रार्थी एवं पीड़ितगण के संदर्भ में धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया एवं अन्य पीड़ितगण लक्ष्मीबाई, नेमीनब बाई, शांति बाई, मीना बाई, खेमीन बाई, ओमप्रकाश, रामेश्वर, चंद्रहास, अनूप सिंह से भी अभियुक्तगण द्वारा छल किया जाना दर्शित होने पर उक्त पीड़ितगण जिन्होंने राजीनामा आवेदन पेश नहीं किया था, के संदर्भ में प्रकरण आगे विचारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11/07/2022 को यह अवलोकित करते हुए कि अभियोग पत्र केवल प्रार्थी ताराचंद के साथ हुए छल के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया गया है, प्रार्थी ताराचंद साहू ने पूर्व में ही अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया है, अन्य पीड़ितगण से भी छल होना

उल्लेखित करते हुए उक्त पीड़ितगण के संदर्भ में प्रकरण की कार्यवाही आगे जारी रखी गयी है, परंतु प्रकरण प्रार्थी ताराचंद साहू के साथ हुए छल के संबंध में ही आरोप विरचित किया गया है, अन्य पीड़ितगण से छल किये जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि हेतु बैंक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण की कार्यवाही आगे जारी रखा जाना औचित्यहीन है, प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर उक्त अपीलार्थी/अभियोजन द्वारा अपील की गयी है।

4. **अपीलार्थी/अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अपील का आधार एवं तर्क संक्षिप्त में इस प्रकार है कि** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा की गई अन्वेषण एवं अभियोग पत्र में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किये बिना अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर विधि की गंभीर त्रुटि कारित की गयी है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन न करते हुए मात्र आदेश पत्रिका में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का आदेश/निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4.1) विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी शिकायतकर्ता एवं अन्य साक्षीगणों के कथनों के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगणों के साथ राजीनामा कर लेने से अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है जबकि विचाराधीन प्रकरण में पीडि़त व्यक्ति जिसे विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षी बनाया गया था, उनमें से ओमप्रकाश साहू, रामेश्वर ढीमर, चन्द्रहास निर्मलकर, अनुप सिंह राजपूत,

इंदल राम साहू, बंटी उर्फ प्रशांत ध्रुव, कामता प्रसाद साहू, मधु सिदार, विरेन्द्र कुमार तोमार, भारत भूषण साहू को न्यायालय के समक्ष विचारण के समय अवसर प्रदान न करते हुए शेष साक्षीगणों के द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उपरोक्तानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उत्तरवादी/ अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर त्रुटिपूर्ण आदेश/निर्णय पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश/निर्णय व दोषमुक्ति को निरस्त करते हुए उत्तरवादी/अभियुक्तगण को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. इस अपील प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि–

> **''क्या विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश/निर्णय दिनांक 11/07/2022 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है?''**

–विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष–

6. अपीलार्थी/अभियोजन के अपील का आधार मुख्य रूप से यह रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन न करते हुए मात्र आदेश पत्रिका में अभियुक्तगण को

दोषमुक्त किये जाने का आदेश/निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी शिकायतकर्ता एवं अन्य साक्षीगणों के कथनों के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण के साथ राजीनामा कर लेने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है जबकि विचाराधीन प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति जिन्हें विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षी बनाया गया था, उनमें से ओमप्रकाश साहू, रामेश्वर ढीमर, चन्द्रहास निर्मलकर, अनुप सिंह राजपूत, इंदल राम साहू, बंटी उर्फ प्रशांत ध्रुव, कामता प्रसाद साहू, मधु सिदार, विरेन्द्र कुमार तोमार, भारत भूषण साहू को न्यायालय के समक्ष विचारण के समय अवसर प्रदान न करते हुए शेष साक्षीगण के द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय बचाव पक्ष के निवेदन पर विचार करते हुए प्रकरण का अवलोकन कर उत्तरवादी/अभियुक्तगण के विरूद्ध, केवल प्रार्थी ताराचंद साहू के साथ छल करने के संबंध में ही अभियोग पत्र पेश होने के आधार पर आरोप विरचित किये जाने और उसी संबंध में ही मामला विचारित किये जाने तथा प्रकरण में प्रार्थी ताराचंद साहू द्वारा पूर्व में ही अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने के आधार पर प्रार्थी के संबंध में अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिए उक्त संबंध में उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण की दोषमुक्ति संबंधी निष्कर्ष देने के कारण एवं

अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य कोई आरोप शेष न रहने के कारण प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी है। अतः अपील स्वीकार किया जाकर प्रावधान अनुसार उत्तरवादीगण/अभियुक्तगण को दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है, जबकि उत्तरवादीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश/निर्णय को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना व्यक्त करते हुए उसे यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

8. उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। दांडिक प्रकरण क्रमांक 1146/2018 ''छ.ग. राज्य विरूद्ध मोहित सिन्हा वगैरह'' में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11/07/2022 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश/निर्णय दिनांक 11/07/2022 में यह उल्लेखित किया गया है कि ''प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने दिनाँक 07.09.2018 को अभियुक्तगण मोहित सिन्हा, अनुज साहू एवं कमलेश सिन्हा के विरुद्ध प्रार्थी ताराचंद साहू के साथ छल कारित करने का सामान्य आशय एक दूसरे के साथ निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी ताराचंद साहू को रकम आहरण करने प्रवंचना कर, विड्राल फार्म भरवाकर, लिंक फेल होने की बात कहकर, उसके खाते से रकम निकाल कर उसके साथ छल कारित करने के संबंध में धारा 420/34 का आरोप विरचित किया गया था, किंतु दिनाँक 07.01.2019 को प्रार्थी ताराचंद साहू व अन्य पीड़ितों के द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रार्थी व राजीनामा करने वाले पीड़ितों के संबंध में अभियुक्तगण को

दोषमुक्त किया गया था, परंतु अन्य पीड़ितों के साथ भी छल करने और उनके द्वारा अभियुक्तगण के साथ राजीनामा ना करने के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही जारी रखे जाने का उल्लेख आदेश पत्रिका में है। यद्यपि उक्त दिनाँक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा पारित उक्त आदेशानुसार अभियुक्तगण द्वारा अन्य पीडितों के साथ छल करने का साक्ष्य उपलब्ध होने और उक्त पीडितों के द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत न करने के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही जारी अवश्य रखी गई है, परन्तु प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन सह दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी ताराचंद के विरुद्ध छल किये जाने के संबंध में ही विवेचना कर अंतिम प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया है, अन्य पीड़ितों के संबंध में विवेचना किये जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि हेतु बैंक से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि केवल प्राथर्थी ताराचंद साहू के साथ छल करने के संबंध में ही न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।उपरोक्तानुसार, चूँकि अभियुक्तगण के विरुद्ध, केवल प्रार्थी ताराचंद साहू के साथ छल करने के संबंध में ही प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोप विरचित किया गया था और उसी संबंध में ही मामाला विचारित किया जाना था तथा प्रकरण में प्रार्थी ताराचंद साहू द्वारा पूर्व में ही अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने के आधार पर प्रार्थी के संबंध में अभियुक्तगण को धारा 420/34 भा.द.वि. के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिए उक्त संबंध में उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण की दोषमुक्ति संबंधी निष्कर्ष देने के

कारण, एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य कोई आरोप शेष न रहने के कारण, अब इस प्रकरण की कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई औचित्य न होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।''

9. आलोच्य आदेश दिनांक 11/07/2022 में जहां तक केवल प्रार्थी ताराचंद के साथ ही अभियुक्तगण के द्वारा छल कारित किये जाने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने, अन्य पीड़ितों के संबंध विवेचना किये जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि हेतु बैंक से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न होने का प्रश्न है, तो विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 07/01/2019 में अभियुक्तगण को प्रार्थी ताराचंद, रामप्रसाद, लोकेश्वर, चिंताराम, शंकर, गैंदूराम, डामिन बाई, खिलेन्द्र, खेदूराम एवं यशवंत के संदर्भ में धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया गया है तथा उक्त आदेश दिनांक 07/01/2019 में आगे यह उल्लेखित किया गया है –कि प्रकरण में साक्षी लक्ष्मी बाई, नेमीन बाई, शांति बाई, मीना बाई, खेमिन बाई, ओमप्रकाश, रामेश्वर, चंद्रहास, अनुज सिंह से भी अभियुक्तगण के द्वारा छल करके बैंक में जमा राशि गबन करने का साक्ष्य उपलब्ध है। उक्त पीड़ित साक्षीगण ने राजीनामा हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उपरोक्त व्यक्तियों के संबंध में इस प्रकरण में विचारण विधिवत जारी रहेगा।

10. उपरोक्त लक्ष्मी बाई, नेमीन बाई, शांति बाई, मीना बाई, खेमिन बाई, ओमप्रकाश, रामेश्वर, चंद्रहास, अनुज सिंह में से लक्ष्मी बाई, ओमप्रकाश, रामेश्वर, चंद्रहास, अनुज सिंह (जो कि वस्तुतः अनुप सिंह होना दर्शित है,

क्योंकि धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में अनुप सिंह उल्लेखित है) का धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध कर संलग्न भी किया गया है, जिसमें उक्त साक्षीगण ने निम्नानुसार कथन है–**ओमप्रकाश साहू एवं रामेश्वर** दोनों ने अपने पुलिस कथन में बताया है कि मोहित सिन्हा, अनुज राम साहू व कमलेश सिन्हा के द्वारा उन लोगों से विड्राल फार्म भरवाकर लिंक फेल या रकम नहीं होने का बहाना बनाकर उनके जाने के बाद खाता से रकम आहरण कर स्वयं उपयोग कर लिया गया। साक्षी ओमप्रकाश के कथनानुसार उसके खाते से 30,501/–रूपये तथा साक्षी रामेश्वर के कथनानुसार उसके खाते से 2,150/–रूपये अभियुक्तगण ने छलपूर्वक आहरित कर लिया है। **चंद्रहास निर्मलकर** ने पुलिस कथन में बताया है कि मोहित सिन्हा, अनुज राम साहू व कमलेश सिन्हा ने उसके जमा रकम को विड्राल फार्म भरवाकर रकम को निकालकर स्वयं उपयोग कर लिया गया तथा जानकारी होने पर इकरारनामा तैयार कर रकम वापस करने का भरोसा दिलाया गया था, किन्तु रकम वापस न करने से ताराचंद साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उक्त साक्षी के कथनानुसार उसके बचत खाते से अभियुक्तगण ने 20,000/–रूपये धोखा देकर आहरित कर लिये। **अनुप सिंह राजपूत** ने पुलिस कथन में बताया है कि मोहित सिन्हा, अनुज राम साहू व कमलेश सिन्हा ने उन लोगों से रकम आहरण हेतु विड्राल फार्म भरवाया और लिंक फेल होने या रकम नहीं होने का बहाना कर उसकी बड़ी मां शैलेन्द्री बाई के खाते से 1,000/–रूपये, मौसी माँ कलिता बाई के खाते से 11,000/–रूपये, बहन डोलेश्वरी के खाते से 1,000/–रूपये एवं बहन

निर्मला राजपूत के खाते से 5,000/–रूपये आहरण कर लिया गया।

11. उपरोक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ने उनसे विड्राल फार्म भरवाया और लिंक फेल है कहकर वापस भेज दिया तथा धोखे से उनके खाते में जमा राशि को आहरित कर लिया। इस तरह उक्त साक्षीगण को प्रवंचित कर उनके खाते से अभियुक्तगण के द्वारा रकम आहरित कर छल किये जाने संबंधी प्रथम दृष्टया तथ्य विद्यमान है जो कि किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचना के लिए पर्याप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Sheoraj Singh Ahlawat nad Ors. Vs. State of U.P. and Anr. AIR 2013 SC 52** के पैरा 15 से 20 में आरोप के संदर्भ में निम्नानुसार अवलोकित किया गया है–

> **15.** This Court partly allowed the appeal qua the parents-in-law while dismissing the same qua the husband. This Court explained the legal position and the approach to be adopted by the court at the stage of framing of charges or directing discharge in the following words: (*Onkar Nath case* [(2008) 2 SCC 561 : (2008) 1 SCC (Cri) 507] , SCC p. 565, para 11)
>
> "*11.* It is trite that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the material and documents on record with a view to finding out if the facts emerging therefrom, *taken at their face value*, disclosed the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At that stage, the court is not expected to go deep into the probative value of the material on record. *What needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At that stage, even* ***strong suspicion*** *founded on material which leads the court to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the*

offence alleged would justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."(emphasis supplied)

16. Support for the above view was drawn by this Court from the earlier decisions rendered in *State of Karnataka* v. *L. Muniswamy* [(1977) 2 SCC 699 : 1977 SCC (Cri) 404 : 1977 Cri LJ 1125] , *State of Maharashtra* v. *Som Nath Thapa* [(1996) 4 SCC 659 : 1996 SCC (Cri) 820 : 1996 Cri LJ 2448] and *State of M.P.* v. *Mohanlal Soni* [(2000) 6 SCC 338 : 2000 SCC (Cri) 1110 : 2000 Cri LJ 3504] . In *Som Nath case* [(1996) 4 SCC 659 : 1996 SCC (Cri) 820 : 1996 Cri LJ 2448] the legal position was summed up as under: (SCC p. 671, para 32)

"*32.* … if on the basis of materials on record, a court could come to the conclusion that commission of the offence is a probable consequence, a case for framing of charge exists. To put it differently, if the court were to think that the accused *might have* [**Ed.**: The words "might have" and "has" are emphasised in original.] committed the offence it can frame the charge, though for conviction the conclusion is required to be that the accused *has* [**Ed.**: The words "might have" and "has" are emphasised in original.] committed the offence. *It is apparent that at the stage of framing of a charge, probative value of the materials on record cannot be gone into; the materials brought on record by the prosecution has to be accepted as true at that stage.*"(emphasis supplied)

17. So also in *Mohanlal case* [(2000) 6 SCC 338 : 2000 SCC (Cri) 1110 : 2000 Cri LJ 3504] this Court referred to several previous decisions and held that the judicial opinion regarding the approach to be adopted for framing of charge is that such charges should be framed if the court prima facie finds that there is sufficient ground for proceeding against the accused. The court is not required to appreciate evidence as if to determine whether the material produced was sufficient to convict the accused. The following passage from the decision in *Mohanlal case* [(2000) 6 SCC 338 : 2000 SCC (Cri) 1110 : 2000 Cri LJ 3504] is in this regard apposite: (SCC p. 342, para

7)

"*7.* The crystallised judicial view is that at the stage of framing charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The court is not required to appreciate evidence to conclude whether the materials produced are sufficient or not for convicting the accused."

18. In *State of Orissa* v. *Debendra Nath Padhi* [(2005) 1 SCC 568 : 2005 SCC (Cri) 415] this Court was considering whether the trial court can at the time of framing of charges consider material filed by the accused. The question was answered in the negative by this Court in the following words: (SCC pp. 577 & 579, paras 18 & 23)

"*18. We are unable to accept the aforesaid contention.* The reliance on Articles 14 and 21 is misplaced. … Further, at the stage of framing of charge roving and fishing inquiry is impermissible. If the contention of the accused is accepted, there would be a mini-trial at the stage of framing of charge. That would defeat the object of the Code. *It is well settled that at the stage of framing of charge the defence of the accused cannot be put forth. The acceptance of the contention of the learned counsel for the accused would mean permitting the accused to adduce his defence at the stage of framing of charge and for examination thereof at that stage which is against the criminal jurisprudence. By way of illustration, it may be noted that the plea of alibi taken by the accused may have to be examined at the stage of framing of charge if the contention of the accused is accepted despite the well-settled proposition that it is for the accused to lead evidence at the trial to sustain such a plea. The accused would be entitled to produce materials and documents in proof of such a plea at the stage of framing of the charge, in case we accept the contention put forth on behalf of the accused. That has never been the intention of the law well settled for over one hundred years now.* It is in this light that the provision about hearing the submissions of the accused as postulated by Section 227 is to be understood. It only means hearing the submissions

of the accused on the record of the case as filed by the prosecution and documents submitted therewith and nothing more. The expression 'hearing the submissions of the accused' cannot mean opportunity to file material to be granted to the accused and thereby changing the settled law. *At the state of framing of charge hearing the submissions of the accused has to be confined to the material produced by the police.*

***

23. As a result of aforesaid discussion, in our view, clearly the law is that at the time of framing charge or taking cognizance the accused has no right to produce any material." (emphasis supplied)

19. Even in *Rumi Dhar* v. *State of W.B.* [(2009) 6 SCC 364 : (2009) 2 SCC (Cri) 1074] , reliance whereupon was placed by the counsel for the appellants, the tests to be applied at the stage of discharge of the accused person under Section 239 CrPC were found to be no different. Far from readily encouraging discharge, the Court held that even a strong suspicion in regard to the commission of the offence would be sufficient to justify framing of charges. The Court observed: (SCC p. 369, para 17)

"*17.* … While considering an application for discharge filed in terms of Section 239 of the Code, it was for the learned Judge to go into the details of the allegations made against each of the accused persons so as to form an opinion as to whether any case at all has been made out or not as a strong suspicion in regard thereto shall subserve the requirements of law."

20. To the same effect is the decision of this Court in *Union of India* v. *Prafulla Kumar Samal* [(1979) 3 SCC 4 : 1979 SCC (Cri) 609] where this Court was examining a similar question in the context of Section 227 of the Code of Criminal Procedure. The legal position was summed up as under: (SCC p. 9, para 10)

"*10.* Thus, on a consideration of the authorities mentioned above, the following principles emerge:

(*1*) That the Judge while considering the question of framing the charges under Section 227 of the Code has the undoubted power

to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made out.

(*2*) Where the materials placed before the court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained the court will be fully justified in framing a charge and proceeding with the trial.

(*3*) The test to determine a prima facie case would naturally depend upon the facts of each case and it is difficult to lay down a rule of universal application. By and large however if two views are equally possible and the Judge is satisfied that the evidence produced before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the accused, he will be fully within his right to discharge the accused.

(*4*) That in exercising his jurisdiction under Section 227 of the Code the Judge which under the present Code is a senior and experienced Judge cannot act merely as a post office or a mouthpiece of the prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of the evidence and the documents produced before the court, any basic infirmities appearing in the case and so on. This however does not mean that the Judge should make a roving enquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if he was conducting a trial."

12. जहां तक अभिलेख में बैंक संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने का प्रश्न है, जैसा कि उपर उल्लेखित किया जा चुका है कि साक्षीगण, जिनके द्वारा राजीनामा नहीं किया गया है, ने अभियुक्तगण के विरूद्ध द्वारा छल कारित किये जाने संबंधी कथन किया है, बैंक संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने से, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होगा या नहीं, यह आरोप के स्तर पर नहीं देखा जा सकता, इसका निर्धारण सम्यक साक्ष्य उपरांत ही किया जा

सकता है। इसके अतिरिक्त बैंक संबंधी दस्तावेज पेश करने या आदेश दिनांक 01/07/2019 में उल्लेखित अन्य साक्षीगण/पीड़ितगण नेमीन बाई, शांति बाई, खेमिन बाई के कथन धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने से पुलिस निवारित भी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत–**Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander and Anr. (2012) 9 SCC 460** के पैरा 19 में आरोप विरचना के समय अभियोग पत्र के साथ संलग्न सामग्री के संबंध में विचार किये जाने के संदर्भ में निम्नानुसार अवलोकित किया गया है-

> **19.** At the initial stage of framing of a charge, the court is concerned not with proof but with a strong suspicion that the accused has committed an offence, which, if put to trial, could prove him guilty. All that the court has to see is that the material on record and the facts would be compatible with the innocence of the accused or not. The final test of guilt is not to be applied at that stage. We may refer to the well-settled law laid down by this Court in *State of Bihar* v. *Ramesh Singh* [(1977) 4 SCC 39 : 1977 SCC (Cri) 533] : (SCC pp. 41-42, para 4)
>
> "*4.* Under Section 226 of the Code while opening the case for the prosecution the Prosecutor has got to describe the charge against the accused and state by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. Thereafter comes at the initial stage the duty of the court to consider the record of the case and the documents submitted therewith and to hear the submissions of the accused and the prosecution in that behalf. The Judge has to pass thereafter an order either under Section 227 or Section 228 of the Code. If 'the Judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing', as enjoined by Section 227. If, on the other hand, 'the

Judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which— … (*b*) is exclusively triable by the court, he shall frame in writing a charge against the accused', as provided in Section 228. Reading the two provisions together in juxtaposition, as they have got to be, it would be clear that at the beginning and the initial stage of the trial the truth, veracity and effect of the evidence which the Prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. Nor is any weight to be attached to the probable defence of the accused. It is not obligatory for the Judge at that stage of the trial to consider in any detail and weigh in a sensitive balance whether the facts, if proved, would be incompatible with the innocence of the accused or not. The standard of test and judgment which is to be finally applied before recording a finding regarding the guilt or otherwise of the accused is not exactly to be applied at the stage of deciding the matter under Section 227 or Section 228 of the Code. At that stage the court is not to see whether there is sufficient ground for conviction of the accused or whether the trial is sure to end in his conviction. Strong suspicion against the accused, if the matter remains in the region of suspicion, cannot take the place of proof of his guilt at the conclusion of the trial. But at the initial stage if there is a strong suspicion which leads the court to think that there is ground for presuming that the accused has committed an offence then it is not open to the court to say that there is no sufficient ground for proceeding against the accused. The presumption of the guilt of the accused which is to be drawn at the initial stage is not in the sense of the law governing the trial of criminal cases in France where the accused is presumed to be guilty unless the contrary is proved. But it is only for the purpose of deciding prima facie whether the court should proceed with the trial or not. If the evidence which the Prosecutor proposes to adduce to prove the guilt of the accused even if fully accepted before it is challenged in cross-examination or rebutted by the defence evidence, if any, cannot show that the accused committed the offence, then there

will be no sufficient ground for proceeding with the trial. An exhaustive list of the circumstances to indicate as to what will lead to one conclusion or the other is neither possible nor advisable. We may just illustrate the difference of the law by one more example. If the scales of pan as to the guilt or innocence of the accused are something like even at the conclusion of the trial, then, on the theory of benefit of doubt the case is to end in his acquittal. But if, on the other hand, it is so at the initial stage of making an order under Section 227 or Section 228, then in such a situation ordinarily and generally the order which will have to be made will be one under Section 228 and not under Section 227."

13. प्रकरण में जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप पत्र में केवल प्रार्थी ताराचंद साहू के साथ छल कारित किये जाने संबंधी उल्लेख होने का प्रश्न है, तो इस स्तर पर धारा 216 दं.प्र.सं. अवलोकनीय है:–

216. न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है (1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाये जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् स्वविवेकानुसार विचारण को

ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नये विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर, जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गयी है।

14. अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर आरोप में परिवर्तन, परिवर्धन किया जा सकता था, अर्थात शेष साक्षीगण/पीड़ितगण का नाम आरोप में उल्लेखित किया जा सकता था, शेष पीड़ितगण/साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज कर अभिलेख में संलग्न कथन के आधार पर भी प्रकरण की कार्यवाही आगे विधि अनुसार की जा सकती थी, तब शेष साक्षीगण/पीड़ितगण का नाम आरोप में उल्लेखित न होने,

उनसे संबंधित बैंक दसतावेज संकलित न होने, केवल प्रार्थी ताराचंद साहू के विरूद्ध छल का अपराध कारित होने के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन पेश किये जाने संबंधी निष्कर्ष दिया जाकर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है, वह विधि की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित किया जा चुका था कि प्रकरण में आगे विचारण किये जाने का आधार है तब आलोच्य आदेश दिनांक के द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही न किये जाने हेतु आधार नहीं होने संबंधी जो निष्कर्ष दिया गया है, वह आपराधिक प्रकरण में पुनर्विलोकन होकर विधि द्वारा अनुज्ञात भी नहीं है।

15. अतः उपरोक्त प्रकट संपूर्ण परिस्थितियों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 11/07/2022 विधि एवं उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए त्रुटिपूर्ण है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 378(1) दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11/07/2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान विचारण **न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में शेष साक्षीगण/पीड़ितगण के संदर्भ में विधि अनुसार आरोप विरचना की कार्यवाही कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें।**

16. उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तिथि दिनांक **19/12/2025** को न्यायालयीन समय ठीक **11:00** बजे प्रकरण की

अग्रिम कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय–श्रीमती तनुश्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के सक्षम उपस्थित रहें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

प्रतिलिपि–

1. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की ओर आपराधिक प्रकरण क्रमांक–1146/2018 ''छ.ग. राज्य विरूद्ध मोहित सिन्हा वगैरह'', सह निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मोहन सिंह कोर्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

The date when the judgment is reserved	The dage when the judgment is pronounced	The date when the judgment is uploaded on the website	
		Operative	Full
08-12-2025	11-12-2025	-	11-12-2025